R 1953/II/05 21

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

COURT FEE INDIA भारत पांच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES
14 NOV 2005

CF 15/-

1. श्रीमती गोमती रानी शुक्ला पत्नी श्री मधु सूदन प्रसाद शुक्ला उम्र 63 वर्ष
2. धर्मेन्द्र शुक्ला उम्र 35 वर्ष
3. जयेन्द्र शुक्ला उम्र 28 वर्ष
4. संगीता शुक्ला उम्र 38 वर्ष
5. नंदिता शुक्ला उम्र 32 वर्ष
6. प्रणिता शुक्ला उम्र 30 वर्ष
7. अजिता शुक्ला उम्र 28 वर्ष

श्री के.के. त्रिपाठी, अभि.
द्वारा आज दि० 21.11.05 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
21 NOV 2005

3 II / 05

सभी पुत्रगण स्व. श्री मधुसूदन प्रसाद शुक्ला, नि.गण सेमरियाचौक चाणक्यपुरी, सतना, हाल निवास सिविल लाइंस रीवा, तह.हुजूर, जिला-रीवा म.प्र.

22

8. पुरुषोत्तम नारायण शुक्ला तनय द्वारिका प्रसाद शुक्ला उम्र 62 वर्ष, निवासी सेमरिया चौक, तह.रघुराज नगर जिला सतना म.प्र. --- आवेदक गण

बनाम

प्रेमजी भाई पटेल पुत्र शिवगण भाई पटेल उम्र 64 वर्ष, निवासी कृष्णनगर, तह.रघुराज नगर वृत्तसतना, जिला-सतना म.प्र. --- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय एवं आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म.प्र.

क्रमशः.

गोमती रानी

दिनांक 18·10·05 जो उनके द्वारा प्र·क्र· 127 निगरानी /2002-03 में पारित किया जाकर [illegible], आवेदक गण की निगरानी निरस्त की गई·

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म·प्र·भू-रा·सं· सन् 1959 ई·

मान्यवर,

आवेदक गण की निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

1· यहकि निर्णय एवं आदेश अधी· न्यायालय दि· 18·10·05 विधि, प्रक्रिया एवं प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है ।

2· यह कि आवेदकगण क्र· 1 ता 7 के पूर्वाधिकारी स्व·श्री शत्रुसूदन प्रसाद शुक्ला के प्रश्नाधीन आराजी ख·क्र· 261/1 ख का जुज रकबा 0·5 $\frac{1}{2}$ ए· स्थित मौजा सेमरिया चौक सतना जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था, तथा इसी आराजी का जुज रकबा 5 डिसमिल आवेदक क्र· 8 पुरुषोत्तम नारायण शुक्ला ने क्रय किया था, इसके पश्चात उक्त क्रयशुदा आराजियात का नामांतरण अपने पक्ष में कराने बावत आवेदन पत्र उक्त शत्रुसूदन प्रसाद शुक्ला एवं पुरुषोत्तम नारायण शुक्ल ने तहसीलदार तह· रघुराज नगर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो

क्रमशः·

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1953–दो/2005 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री कृष्णपाल उपस्थित। अनावेदक अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 129/निगरानी/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 18.10.05 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर ने 28.06.96 को मात्र यह आदेश पारित किया है कि प्रकरण 9 वर्ष चलने के बाद ग्राह्यता के बिन्दु पर निरस्त नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण ने अपील दिनांक 04.08.87 को पेश किया था तथा दिनांक 28.06.96 को ग्राह्यता पर आदेश पारित किया गया था । इतने लंबे अंतराल के बाद किसी भी प्रकरण को दायरा के बिन्दु पर निरस्त करना उचित नहीं है । वैसे भी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के एवं संहिता की धारा 49 में यह प्रावधान है कि किसी अपील या निगरानी को तकनीकी दृष्टि से निरस्त न कर गुणदोष पर आदेश पारित करना चाहिये। अनुविभागीय	

अधिकारी रघुराजनगर के द्वारा दिनांक 28.06.96 को जो आदेश पारित किया गया है वह विधिनुकूल है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपने आदेश में इसकी पुष्टि की है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश विधिनुकूल है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2005 स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य